न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2022/46 जिला–अजमेर

पंकज कुमार चौधरी पुत्र जसवन्त कुमार चौधरी, जाति जैन निवासी मुणोत नगर, ब्रह्मनन्द मार्ग, ब्यावर जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, अजमेर

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर
दिनांक 09–11–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 62/2021 (2021/266)
बउनवान पंकज बनाम सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री राकेश अरोड़ा अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 10–01–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड में नक्शे में रास्ते की दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–11–2021 द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम नरबदखेड़ा स्थित आराजियात खसरा नम्बर 1793/882 रकबा 0.0809 हैक्टर, खसरा नम्बर 868 रकबा 0.1133 हैक्टर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0.2388 हैक्टर भूमि मे अपीलार्थी का 3/4 हिस्सा है। उक्त भूमि में आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खसरा नम्बर 890 में से होकर रास्ता विद्यमान है इसके अतिरिक्त अपीलार्थी की भूमि पर आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह रास्ता गत 50 वर्षो से अधिक समय से मौके पर मौजूद है। हाल ही में राजस्व अभिलेख ऑनलाईन किया गया इस दौरान खसरा नम्बर 890 के राजस्व मानचित्र में जो रास्ता दर्शित हो रखा था उसे विलोपित कर दिया गया एवं वर्तमान में डीआईएलआरएमपी योजना के तहत खसरा नम्बर 890 मानचित्र ऑनलाईन अपलोड किया गया है उसमें रास्ता दर्शित नहीं किया गया है जो कि स्पष्टतया राजस्व अभिलेख में की गई लिपिकीय त्रुटि रही है। तहसीलदार, ब्यावर द्वारा भी उक्त सन्दर्भ में प्रस्तुत जवाब में अंकन किया है कि खसरा नम्बर 1793/882 रकबा 0.0809 हैक्टर, खसरा नम्बर 868 रकबा 0.1133 हैक्टर, खसरा नम्बर 869 रकबा 0. 2388 हैक्टर भूमि में प्रार्थी का 3/4 हिस्सा विद्यमान है, में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 890 का ही उपयोग किया जाता रहा है। किन्तु कम्पयूटरीकृत मानचित्र में डोटेड रास्ते के अंकन हेतु किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होने की वजह से उसको मानचित्र में अंकन किया जाना संभव नहीं है। उक्त जवाब से यह स्पष्ट है कि पूर्व में राजस्व मानचित्र मे वर्तमान कम्पयूटरीकृत राजस्व मानचित्र में एकरूपता नहीं रखी गई है एवं नक्शे में स्थित डोटेड लाईन रास्ते को हटाये जाने में त्रुटि कारित की गई है जो कि धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत दुरूस्त किये जाने योग्य है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील खारिज कर कानूनी त्रुटि कारित की है।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी व उनके सहखातेदारान द्वारा खातेदारी की आराजियात में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 890 का उपयोग में आ रहा है बाबत निवेदन किया कि राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 59 के तहत मोके अनुसार रास्ता सार्वजनिक घोषित किया जाकर तरमीम किये जाने हेतु पूर्व में तहसीलदार ब्यावर के समक्ष दिनांक 26–6–97 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 3–7–97 को मौका देखकर तहसील में प्रस्तुत किया जाना अवगत कराया जिसमें किसी भी काश्तकार को कोई आपत्ति नहीं है। अतःउक्त भूमि खसरा नम्बर 890 जो कि सरकारी पर 80 फिट चौड़ा रास्ता तरमीम किया जावे। दिनांक 29–6–98 को तहसीलदार टाडगढ़ को खसरा नम्बर 890 की जांच कर नियमानसार रास्ते की तरमीम के आदेश पारित किये गये उक्त अनुपालना में राजस्व अभिलेख व नक्शे में खसरा नम्बर 890/2 रास्ते की तरमीम कर अंकन किया गया जिस बाबत राजस्व अभिलेख सम्वत 2054–2058 में भू–अभिलेख निरीक्षक राजियावास द्वारा दिनांक 18–8–1998 को अंकन किया हुआ है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र करेक्शन ऑफ एन्ट्री का प्रकरण नहीं पाये जाने के कारण खारिज कर दिया जो विधिसम्मत नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 890/2 जो कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमांक राजस्व/5919 दिनांक 29–6–1998 की अनुपालना में नायब तहसीलदार ब्यावर के आदेश क्रमांक 593 दिनांक 10–8–1998 की पालना में खसरा नम्बर 890 में से रकबा 7 बिस्वा पर रास्ते की तरमीम कर कायम किया गया है जिस बाबत अंकन राजस्व अभिलेख में खसरा गिरदावरी सम्वत 2054–2058 में किया हुआ है इसके पश्चात राजस्व नक्शे में डोटेड लाईन से अंकन किया गया है। खसरा नम्बर 890 जो कि राजकीय सिवायचक आराजी रही है व अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी में आवागमन हेतु एकमात्र रास्ता दर्ज रहा है जिसे ऑन लाईन जारी करते हुए नक्शे में दर्शाए नहीं जाने के कारण उक्त रास्ते को ऑन लाईन नक्शे में पुनः तरमीम करवाये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा ऑन लाईन नहीं दर्शाये जाने के कारण धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में नक्शा लंकलाट में डोटेड रास्ते की तरमीम किया जाना स्वीकार किया है किन्तु नियमों के परिप्रेक्ष्य में कम्प्यूटरीकृत मानचित्र में डोटेड रास्ते के अंकन हेतु किसी प्रकार का प्रावधान नहीं होने की वजह से मानचित्र में अंकन किया जाना संभव नहीं है वर्णित किया है जिसे आधार मानते हुए एवं बटा नम्बर से नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई है जिससे रास्ते की तरमीम का अंकन नहीं हुआ है जबकि अपीलार्थी का आवागमन खसरा नम्बर 890 में से ही किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभ्यिान में पत्रावली को नियत किया जाकर बिना राजस्व अभिलेख का अवलोकन किये प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत एक मात्र सहमति के आधार पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए राजस्व प्रार्थना पत्र को प्रकरण में नियत किया जाकर बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलार्थीका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। प्रस्तुत प्रकरण धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नहीं आने के कारण खारिज किया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–136 के तहत प्रथम दृष्टया लिपिकीय टंकण त्रुटि को दोनों पक्षकारों की सहमति से स्वीकृति के आधार पर ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में कोई लिपिकीय त्रुटि होना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09–11–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार, गिरदावर एवं पटवारी हल्का की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 9–11–2021 के अनुसार ग्राम नरबदखेड़ा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2073–76 जमाबंदी सम्वत 2076 से स्थायी खाता संख्या 381 के अनुसार खसरा नम्बर 1793/882 रकबा 0.0809 हैक्टर खसरा नम्बर 868 रकबा 0.1133 हैक्टर व खसरा नम्बर 869 रकबा 0.2388 हैक्टर भूमि पुष्पा लूणावत पत्नी सुभाषचन्द लूणावत हिस्सा 3/4, सुशीला रांका पत्नी नेमीचन्द रांका हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज रेकार्ड है तथा जमाबंदी सम्वत 2073–76 के स्थाई खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा नम्बर 1972/890 रकबा 0.2610 हैक्टर किस्म बा0 3 खसरा नम्बर 1973/890 रकबा 0.0202 किस्म गै0मु0 रास्ता एवं खसरा नम्बर 1974/890 रकबा 0.1680 हैक्टर किस्म बारानी 2 दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर का पूर्व में मूल नम्बर 890 था जो कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 12/2020 अन्तर्गत धारा 251 'क' उनवान श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह व अन्य बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2–9–2020 के अनुसार संबंधित वादी को उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 881 में आने जाने हेतु 10 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने का निर्णय पारित किया गया। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम कर अलग–अलग नम्बर कायम किये गये। साथ ही नक्शा लंकलाट के अवलोकन अनुसार खसरा नम्बर 890 में लाल स्याही से रास्ता तो तरमीम किया हुआ है परन्तु तरमीम करने के साक्ष्य स्वरूप तरमीम की आज्ञा क्रमांक, दिनांक व तरमीम करने वाले कार्मिक के हस्ताक्षर नक्शा लंक लाट पर मौजूद नहीं है। साथ ही खसरा नम्बर 890 में से रास्ते के प्रभावित रकबे की नामान्तरकरण कार्यवही भी तत्समय नहीं की गई। खसरा नम्बर 1793/882 खसरा नम्बर 868 व 869 में आने जाने हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 890 का ही उपयोग किया जाता है। ग्राम नरबदखेडा का उक्त खसरा नम्बर 890 राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित न हाकर ग्रामीण सड़क पर स्थित है। खसरा नम्बर 1793/882 के सामेन की ओर सिवायचक खसरा नम्बर 1972/890 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा मौके पर वर्तमान में रिक्त है।

यहां यह भी उल्लेखीय है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य के तहत जमाबंदी मे वर्णित प्रत्येक खसरा की वन टू वन मेपिंग करते हुए कम्पयूटरीकृत राजस्व मानचित्र में तरमीम की गई है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में डोटेड रास्ते का जमबंदी में कोई भी अलग से खसरा नम्बर अंकित नहीं था । ऐसी स्थिति में नियमों के परिप्रेक्ष्य में मूल खसरा नम्बर 890 को यथावत रखते हुए राजस्व मानचित्र को अंतिम रूप दिया गया। कम्पयूटरीकृत मानचित्र में डोटेड रास्ते के अंकन हेतु किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं होने की वजह से उसको मानचित्र में अंकन किया जाना संभव नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा राजस्व नक्शें में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त धारा 136 के अन्तर्गत एक सीमित क्षैत्राधिकार सक्षम अधिकारी को दिये गये है जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है प्रस्तुत प्रकरण धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रतीत नहीं होने के कारण अपीलार्थी को इस अपील में कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–11–2021 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 9–11–2021 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 62/2021 (2021/266) बउनवान पंकज कुमार बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर